प्रेषक,

जिलाबेसिकशिक्षाअधिकारी
बिजनौर।

सेवामें,

प्रबंधक
लाम्बाकान्वेंटस्कूलपेबन्दखेडीतहसील धामपुरजनपद–बिजनौर।

पत्रांकःबेसिक / मान्यता / 2007–13 / 2019–20 दिनांक 24-05-2019

विषयः– निःशुल्कऔरअनिवार्यबालशिक्षाकाअधिकारअधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन केलिए निःशुल्कऔरअनिवार्यबालशिक्षाकाअधिकारअधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीनविद्यालय के मान्यताप्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्तविषयकसूच्य हैकिआपकेआवदेनऔरइससंबंध मेंविद्यालय के साथपश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देशसे, मैंलाम्बाकान्वेंटस्कूलपेबन्दखेडीतहसील धामपुरजनपद–बिजनौरकोस्थाईमान्यता**अंग्रेजीमाध्यमसेनर्सरीसे कक्षा–8**तक के लिए अनन्तिममान्यताप्रदानकरनेकीसंसूचनादेताहूँ।

उपरोक्तमंजूरीनिम्नलिखित शर्तो के पूराकिए जाने के अध्यधीनहैः–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही हैऔरउसमेंकिसीभी रुप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधनकरने के लिए कोईबाध्यताविवक्षित नही है।

2 विद्यालय निःशुल्कऔरअनिवार्यबालशिक्षाकाअधिकारअधिनियम 2009 (उपाबंध 1)औरनिःशुल्कऔरअनिवार्यबालशिक्षाकाअधिकारनियम 2010(उपाबंध 2)के उपबंधोंकापालनकरेगा।

3 विद्यालय कक्षा–1 में(या यथास्थितिनर्सरी कक्षामें)उस कक्षामेंबालकों की संख्या के 25 प्रतिशततकआस–पड़ोस के कमजोरवर्गोऔरसुविधा–विहीनसमूह के बालकोकोप्रवेशप्रदानकरेगाऔरउन्हेंनिःशुल्कऔरअनिवार्यप्राथमिकशिक्षाउसकेपूराहोजानेतकउपलब्ध कराएगा।

4 पैरा–3 मेंनिर्दिष्टबालकों के लिए विद्यालय कोअधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 केउपबंधो केअनुसारप्रतिपूरितकियाजायेगा। ऐसीप्रतिपूर्तियॉप्राप्तकरने के लिए विद्यालय एक पृथकबैंक खाता रखेगा।

5 सो इटी / विद्यालय किसीकैपिटेशन शुल्ककासंग्रहण नही करेगाऔरकिसीबालक याउसकेमाता–पिता या संर क्ककोकिसीस्कीनिंगप्रकिया के अध्यधीननहींकरेगा।

6 विद् ालय किसीबालककोउसकीआयुकासबूत न होने के कारणप्रवेशदेनेसेइंकार नही करेगाऔरवहअधिनियम की धारा 15 के उप ांधोकापालनकरेगा।विद्यालय निम्नलिखितसुनिश्चितकरेगाः–

(1) प्रवेश दिए गए किसीभीबालककोविधालय मेंउसकीप्राथमिकशिक्षापूरीहोनेतककिसी कक्षामेंफेल नही कियाजाएगा या उसेविद्यालय सेनिष्कासित नही कियाजाएगा।

(2) किसीभीबालककोशरीरिकदंड या मानसिकउत्पीड़न के अध्यधीननहींकियाजाएगा।

(3) प्राथमिकशिक्षापूरीहोनेतककिसीभीबालकसेकोईबोर्डपरीक्षाउत्तीर्णकरने की अपेक्षा नही कियाजाएगा।

(4) प्राथमिकशिक्षापूरीकरनेवालेप्रत्येकबालककोनियम 25 के अधीनअधिकथितकिए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदानकियाजाएगा।

(5) अधिनियमके उपबंध के अनुसारनिःशक्तताग्रस्त / विशेषआवश्यकताओंवालेविद्यार्थियोंकोप्रवेशदियाजाएगा।

(6) अध्यापको की भर्तीअधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथाअधिकथितन्यूनतमअर्हताओं के साथ की जातीहै, परन्तु यह औरकिविद्यमान अध्यापक जिनकेपासइसअधिनियम के प्रारंभपरन्यूनतमअर्हताएं नही है, पॉचवर्ष की अवधि के भीतर ऐसीन्यूनतमअर्हताएंअर्जितकरेगें;

(7) अध्यापकअधिनियम की धारा 24(1)के अधीनविनिर्दिष्टअपनेकर्त्तव्योंकापालनकरताहै;और

(8) अध्यापकस्वयंकोकिसीनिजीअध्यापनकियाकलापोमेंनियोजित नही करेगा।

7 विद्यालय समुचितप्राधिकारी द्वाराअधिकथितपाठ्यचर्या के आधारपरपाठ्यक्रमकापालनकरेगा।

8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्टविद्यालय के मानकोऔरसंनियमोंकोबनाए रखेगा।अंतिमनिरीक्षण के समय रिपोर्ट की गईप्रसुविधाएंनिम्नानुसारहैः–

(1) विद्यालय परिसरका क्षेत्रफल–8500 वर्गमीटर

(2) कुलनिर्मित क्षेत्र–भूतल–8500 वर्गमीटर, प्रथम तल–8500 वर्गमीटर

(3) किडा–स्थलका क्षेत्रफल–8500 वर्गमीटर

(4) कक्षाओं की संख्या–25

(5) प्राध्यापक–सहकार्यालय–सहभंडागार के लिए कक्ष–05

(6) बालकऔरबालिकाओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध है।

(7) पेयजलसुविधाउपलब्ध है।

(8) मिड–डे–मीलपकाने के लिए रसोई–योजनालागू नही है।

(9) बाधारहितपहुॅचहै।

(10) अध्यापनपठनसामग्री / किडा खेलकूदउपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धताउपलब्ध है।

sm

9 विद्यालय के परिसरों के भीतर याउसकेबाहरविद्यालय के नामसेकोईगैरमान्यताप्राप्त कक्षाएं नही चलाईजाएंगी।

10 विद्यालयभवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थलकाप्रयोगकेवलशिक्षाऔरकौशलविकास के प्रयोजन के लिए कियाजायेगा।

11 विद्यालय कोसोसाइटीरजिस्ट्रीकरणअधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीनरँजिस्ट्रीकृतकिसीसोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्तकिसीविधि के अधीनगठितकिसीलोकन्यास द्वाराचलायाजारहाहै।

12 स्कूलकोकिसीव्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीअन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलायाजारहाहै।

13 विद्यालय के लेखाओं की किसीचार्टर्ड एकाउटेंट द्वारासंपरीक्षा की जानीचाहिए औरउसके द्वारा प्रमाणित विवरण की एक प्रतिप्रत्येकवर्षजिलाशिक्षाअधिकारीकोभेजीजानीचाहिए।

14 आपकेविद्यालय कोआवंटितमान्यताकोड संख्या......21............है।कृप्याइसेनोटकरलेंऔरइसकार्यालय के साथकिसी पत्राचार के लिए इस संख्यांककाउल्लेख करें।

15 विद्यालय ऐसीरिपोर्टऔरसूचनाप्रस्तुतकरताहैजो समय–समय परशिक्षानिदेशक / जिलाशिक्षाअधिकारी द्वाराअपेक्षितहोऔरसमुचितसरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसेअनुदेशोंकापालनकरताहै, जोमान्यतासंबंधी शर्तो के सतत् अनुपालनकोसुनिश्चितकरने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियोंकोदूरकरने के लिए जारीकिए जाएं।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण यदिकोईहो, कोसुनिश्चितकियाजाए।

भवदीय

(महेश चन्द्र)

जिलाबेसिकशिक्षाअधिकारी

बिजनौर।

पृ0सं0बेसिक / / 2019–20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित :–

1–अपर शिक्षानिदेशक(बेसिक), उ0प्र0, शिक्षानिदेशालय, प्रयागराज।

2–सचिव, उ0प्र0, बेसिकशिक्षापरिषद,प्रयागराज।

3–मण्डलीय सहायकशिक्षानिदेशक(बेसिक), द्वादशमण्डल, मुरादाबाद।

4–जिला समाजकल्याणअधिकारी / जिलाअल्पसंख्यक कल्याणअधिकारी / जिलापिछड़ावर्गकल्याणअधिकारी, जनपद–बिजनौर।

5–संबंधित खण्डशिक्षाअधिकारीनगर / विकास क्षेत्र जनपद–बिजनौर।

जिलाबेसिकशिक्षाअधिकारी

बिजनौर।